नगर परिषद

नामली

जिला : रतलाम

आडिट रिपोर्ट 2021-22

ऑडिटर

जेपी डफरिया & कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कार्यालय : 48 टी आई टी रोड, रतलाम (म.प्र.)

दूरभाष : 07412-230485 , 9827262582

कार्यालय नगर परिषद नामली जिला रतलाम (म.प्र.)

नगर परिषद नामली
आडिट रिपोर्ट 2021-22

क्र. सं.	विवरण	ऑडिटर का अवलोकन
1.	राजस्व का ऑडिट	
1.	ऑडिटर विभिन्न श्रोतो से राजस्व की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (राजस्व से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की हे, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए है।
2.	ऑडिटर प्राप्त राजस्व का रसीद पुस्तको के काउंटर फाइलों से मिलान करने के लिए जिम्मेदार है और प्राप्त राजस्व विधिवत सम्बन्दित बैंक कहते में जमा किया गया जाता हे उसकी भी जाँच करे.	ऑडिटर द्वारा राजस्व को रसीद पुस्तको से मिलान किया गया हे जिसमे आय विधिवत खातों में जमा कराइ गयी तथा उचित पाई गयी. लेखांकन पूर्ण रूप से नगद लेख प्रवत्ति (cash basis accounting) पर ही होता है।
3.	प्राप्त राजस्व 2 कार्यकारी दिवस से ज्यादा देरी हो तो, आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में तुरंत लाया जाये।	कोई विलम्ब नहीं पाया गया है।
4.	ऑडिटर द्वारा केश बुक की प्रविष्टियों को सत्यापित किया जायगा।	ऑडिटर ने कॅश बुक की प्रविष्टियों की जाँच की हे जो की विधिवत पाई गयी है।
5.	ऑडिटर की रिपोर्ट में त्रेमासिक और मासिक के विरुद्ध राजस्व वसूली का विशेष रूप से उल्लेख होगा। राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की खामी ऑडिटर रिपोर्ट का हिस्सा होगी।	ऑडिटर ने लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व का लेख परीक्षा किया हे, जिसमे पाया गया की परिषद सामान्य रूप से कोई लक्ष्य का निर्धारण नहीं करती है। तथा राजस्व जुटाने के लिए नियमित शिविर लगाती रहती है।
6.	ऑडिटर एफ डी ब्याज की जाँच करेगा और व्याज आय विदिवत और समय पर रोकड़ बही में प्रविष्ट की है उसकी भी जाँच करेगा।	ऑडिटर ने पाया की नगर परिषद के पास कोई ऍफ़ डी नहीं हे तो ऍफ़ डी पर ब्याज प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है नगर परिषद के सभी खाते बचत खाते हे जिन पर नगर परिषद को आय होती है।
7.	यदि निवेश काम ब्याज दरों पर किया हो तो आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में तुरंत लाया जाये।	कोई ऍफ़ डी नहीं की गई।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नामली

P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

2.	**खर्चो का ऑडिट**	
1 .	ऑडिटर सभी योजनाओ के अन्तर्गत व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (खर्चो से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की हे, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए है।
2.	ऑडिटर रोकड़ बही में व्यय सम्बंधित प्रविष्ठियों और वाउचर की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने केशबूक में व्यय सम्बंधित प्रविष्टियों एंव प्रासंगिक वाउचर की जाँच की है जो की विधिवत पाई गयी है ।
3.	ऑडिटर मासिक रोकड़ बही के शेष की जाँच करेगा और यदि कोई त्रुटि पाई गयी हे तो सुधार के लिए अकाउंटेंट को गाईड करने के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर परिषद कॅश बुक शेष का मिलान निरंतर रूप से रोजाना करती है। जो की विधिवत लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित है । ऑडिट अवधि में कोई शेष भिन्न नहीं पाया गया है।
4.	ऑडिटर जाच करेगा की विशेष योजना के लिए आवंटित धनराशि उस विशेष योजना के लिए व्यय करने के लिए सिमित है, यदि निश्चित सीमा में अधिक व्यय किया है तो भुगतान आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में लाया जायेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (खर्चो से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा किया ओर पाया की नगर परिषद ने जो भी खर्च किये है वो दिशा निर्देशो अनुसार है। तथा प्रत्येक व्यय अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाउचर के पश्चात् ही भुगतान किये गए है।
5.	ऑडिटर जाँच करेगा की व्यय दिशानिर्देश एंव सरकार द्वारा जारी किये गए अधिनियमो और नियमो के अनुसार हुए है।	जाँच में पाया गया की सारे व्यय दिशानिर्देशो के अनुसार ही हुए है।
6.	ऑडिटर वित्तीय सम्पति भी चेक करेगा तथा जाँच करेगा की कोई भी खर्च वित्तीय एंव प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिबन्ध किये गए हे अथवा नहीं तथा प्रतिबंधित सीमा में खर्च किये है।	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया हे।
7.	वे सभी मामले जिनमे उचित प्रतिबन्ध (सैंक्शन) नहीं ली गयी	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नामली

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

	हे ऑडिटर उन्हें रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर गत ऑडिट अवलोकन का अनुपालन हुआ के नहीं यह भी सुनिश्चित करेगा, यदि अवलोकन का अनुपालन नहीं हुआ तो आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में लाया जायेगा।	कोईं मामला सामने नहीं आया हे
8.	ऑडिट योजना और परियोजना के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) का सत्यापन करेगा, यह उपयोगीय प्रमाण पत्र आय, व्यय एंव स्थायी सम्पति के निर्माण से मिलान होन चाहिए।	नगर परिषद द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यु सी) वर्ष 2021-22 के लिये बनाया गया है अतः यु सी का आय, व्यय एंव स्थायी सम्पति के निर्माण से मिलान हुआ है.

3.	**बुक कीपिंग का ऑडिट**	
1.	ऑडिटर लेख खातों लिए जिम्मेदार है , लेख खाते अच्छी तरह से स्टोर है की नहीं उसकी भी सुचना करेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए लेखाखातों की परीक्षा की हे इस सम्बन्ध में निष्कर्ष है।
2.	ऑडिटर जाँच एंव सुचना के लिए जिम्मेदार हे की नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गए खाते को लेखा नियमो के अनुसार लागु बनाये हे और अच्छी तरह से स्टोर किये हुए है।	परिषद द्वारा खातों को नगद लेखा विधि से बनाया गया हे तथा सभी बैंक खातों की एक ही रोकड़ पुस्तक बनायी गयी है। पुस्तके विधिवत रूप से स्टोर की गयी है।
3.	ऑडिटर द्वारा अग्रिम रजिस्टर की जाँच करे और यह रिपोर्ट करे की सभी एग्रीमो की पुनर्प्राप्त शर्तो के अनुसार समय पर हो रही है। गैर वसूली को विशेष रूप से ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया जायगा।	अग्रिम रजिस्टर के अनुसार अग्रिम नियमित रूप से वसूल किया जा रहा हे तथा ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया जिसे आयुक्त/ सी. एम. ओ. को सूचित में लाया जाये।
4.	बैंक समाधान पत्र (बी आर एस) का मिलान नगर परिषद (यू एल बी) के रिकार्ड और संबंधित बैंक के रिकॉर्ड से किया जायेगा। यदि नगर परिषद बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं कर रहे हे तो ऑडिट रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाय।	नगर परिषद के सभी खातों का बैंक समाधान पत्र बनाया जा चुका हे तथा परिषद के सभी खाते रिकार्ड के साथ मेल खाते है। समाधान पत्र के साथ सूची सलग्न है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नामली

J. P. DAFRIA & CO.
RATLAM
Chartered Accountants

5.	ऑडिटर अनुदान रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अनुदान संबंधित प्राप्तियां और भुगतान मिलान रोकड़ बही की प्रविष्टियों से किया जायगा।	चुंगी क्षति पूर्ति तथा यात्री कर को समायोजन के बाद लेख में लिया गया है ऑडिटर के अनुसार उनका लेख अलग से होना चाहिये।
6.	ऑडिटर स्थायी सम्पति रजिस्टर एंव अन्य दस्तावेज़ की जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि स्थायी सम्पति रजिस्टर एंव अन्य दस्तावेज़ उचित अवस्था में नहीं पाए जाते या कुछ खामिया हो तो तुरंत आयुक्त / सी ऍम ओ की सुचना में लाया जायगा।	स्थायी सम्पति का कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है। मूल्य ह्रास लगाने का कोई लेख नहीं किया जाता जिस वजह से आय भी बढ़कर दिखती है।
7.	ऑडिटर विशेष रूप से परियोजना निधि के भुगतान और प्राप्तियों के खातों का मिलान करेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए परियोजना निधि सम्बंधित दस्तावेजो की जाँच की है और नियमो के अनुरूप पाया है।

4.	स्थायी जमा (ऍफ़ डी) का ऑडिट	
1.	ऑडिटर सभी स्थायी जमा (ऍफ़ डी) एंव टर्म जमा पर ऑडिट के लिए जिम्मेदार है।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।
2.	ऑडिटर यह सुनिश्चित करेगा की स्थायी जमा का पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाता है तथा सभी स्थायी जमा एंव नवीनीकरण समय पर कर रहे है।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।
3.	यदि नगर परिषद ने ऍफ़ डी एंव टर्म जमा प्रचलित ब्याज दर से काम दर पर निवेश किया हे तो ऐसे मामलो को तुरंत आयुक्त / सी ऍम ओ की सूचना में लाया जायगा।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।
4.	ऑडिटर द्वारा ऍफ़ डी एंव टर्म डिपाजिट पर अर्जित ब्याज सम्बंधित प्रविष्टियों को बही खता में सत्यापित किया जायगा।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।

P. DAFRIA & CO.
RATLAM
Chartered Accountants

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नामली

	निविदाएं / बोलियों का ऑडिट	
1.	ऑडिटर सभी निविदाये / बोली जो नगर परिषद द्वारा आमन्त्रित की गई थी की जाँच करने के लिए है।	ऑडिटर नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी निविदाये / बोली संबंधित दस्तावेज़ों की परीक्षा की हे, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए है।
2.	ऑडिटर जाँच करेगा की नगर परिषद द्वारा प्रतिस्पर्दी निविदा प्रक्रिया सभी बोलियो के लिए अपनाई गयी है।	नगर परिषद ने निविदा प्रक्रिया अपनाई हैं।
3.	ऑडिटर निर्माण या रखरखाव संबंधित कार्य की निविदा शुल्क / बोली प्रोसेसिंग शुल्क/ परफॉरमेंस गारंटी की रसीदों को सत्यापित करेगा।	अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेज़ों की जाँच की गयी तथा उन्हें नियमों के अनुरूप पाया है।
4.	यदि नगर परिषद ने निविदा के सम्बन्ध में प्रोसेसिंग शुल्क तथा परफॉरमेंस गारंटी के स्थान पर बैंक गारंटी स्वीकार की हे भी सत्यपन किया जाये।	नगर परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
5.	यदि नगर परिषद ने निविदा के सम्बन्ध में बैंक गारंटी स्वीकार की हे तो बैंक गारंटी की शर्तें भी सत्यापित करे, यदि शर्तें नगर परिषद के हिट के विरुद्ध हे तो तुरंत आयुक्त / सी ऍम ओ की सूचना में लाया जायगा।	नगर परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
6.	यदि नगर परिषद द्वारा स्वीकार की गयी बैंक गारंटी के विस्तार के संबंधित मामलो आयुक्त / सी ऍम ओ की सूचना में लाया जायगा तथा ऑडिटर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।	नगर परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
7.	ऑडिटर द्वारा अनुबंध बंद सत्यापित किये जायेंगे।	अनुबंध की जाँच की और संतोष जनक पाया गया।

6.	अनुदान और ऋण का ऑडिट	
1.	ऑडिटर नगर परिषद द्वारा लिया गया ऋण एवं सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण एंव सरकारी अनुदान संबंधित दस्तावेज़ की परीक्षा की हे, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए है।
2.	ऑडिट राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेवार है।	ऑडिटर को अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजो के अनुसार अनुदानों का उपयोग अविवादित हे तथा उचित है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नागरी

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

3.	ऑडिटर नगर परिषद द्वारा लिया गया ऋण (जो भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए लिया गया था) और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद द्वारा उपलब्ध अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा में पाया की नगर परिषद ने हुडको से जो ऋण लिया था उसकी किश्त का भुगतान समय समय पर किया हे तथा उसमे कोई डिफ़ॉल्ट नहीं पाया गया हे। किन्तु उसका कोई प्रारंभिक बैलेंस न होने के कारण खर्च में दर्शाया गया है।
4.	ऑडिटर ऑडिट के दौरान विशेष रूप से राजस्व तंत्र पर टिपण्णी करेगा, ऑडिटर यह रिपोर्ट करेगा की जो संपत्ति ऋण ऋण लेकर बनाई गयी है उनसे वंचित आय उत्पन्न हो रही है या नहीं।	इस लोन के उपयोग से बनाई गई सम्पति से कोई आय नहीं हो रही है।
5.	ऑडिटर गेर राजस्व के लिए संभावित कारणों पर टिपण्णी करेगा।	सम्पत्ति का कोई आय योग्य उपयोग नहीं हो रहा है।
6.	ऑडिटर विशेष इंगित करेगा की नगर परिषद ने पूंजीगत प्राप्तियों/ अनुदान / ऋण का विचलन किसी भी राजस्व खर्चो में तो नहीं किया है।	ऑडिट के दौरान इस कोई मामला सामने नहीं आया हे जिसमे कोई विशिष्ट विचलन पाया गया हों।

Place: Ratlam
Date : 15.07.2023

FOR:- J.P. DAFRIA & CO.
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

J.P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

C.A. Prakhar Dafria
Membership No.402551
FRN 001153C
48, T.I.T. Road , Ratlam(MP)
UDIN : 23402551BGVSWE7867

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नामली

नगर परिशद नामली

Balance Sheet

1-Apr-21 to 31-Mar-22

Liabilities		as at 31-Mar-22	Assets		as at 31-Mar-22
Capital Account		**3,02,16,725.80**	**Fixed Assets**		**84,86,908.00**
परिषद् फण्ड	4,75,16,725.80		इन्वर्टर बेटरी	30,000.00	
प्रधानमन्त्री आवास योजना	(-)1,73,00,000.00		एलाउन्स सिस्टम	11,260.00	
			कचरा मशिन	13,79,000.00	
			कम्प्यूटर	1,37,840.00	
			टाटा मेजिक	17,78,000.00	
			टिन शेड न्यू बसस्टेन्ड	4,97,690.00	
			पम्प सेट	2,36,728.00	
			प्रिन्टर	60,610.00	
			सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	10,09,701.00	
			सी. सी टिवि केमरा	32,500.00	
			स्केनर पेन ड्राईव	5,450.00	
			स्प्रे पम्पसेट	98,000.00	
			फ़र्निचर	3,23,766.00	
			फ़ागिन्ग मशिन	1,96,252.00	
			फ़ायर ब्रिगेड	26,90,111.00	
			Current Assets		**2,17,29,817.80**
			Cash-in-Hand	366.00	
			Bank Accounts	2,17,29,451.80	
Total		**3,02,16,725.80**	**Total**		**3,02,16,725.80**

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accoutants

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नामली

नगर परिशद नामली

Income and Expenditure Statement

1-Apr-21 to 31-Mar-22

Particulars	1-Apr-21 to 31-Mar-22		Particulars	1-Apr-21 to 31-Mar-22	
Direct Expenses		**3,74,17,217.31**	**Direct Incomes**		**5,22,25,632.00**
अनुग्रह व्यय	50,000.00		अनुदान प्राप्त	3,28,31,783.00	
अन्केशण व्यय	35,000.00		अनापति प्रमाण पत्र	800.00	
अन्य व्यय	7,08,614.00		अन्य आय	1,16,657.00	
ईधन पर व्यय	10,88,890.00		अमानत	(-)78,600.00	
उधान बाग बगिचो पर व्यय	1,32,370.00		आवेदन शुल्क	5,560.00	
एरियर	9,32,477.00		इलेक्ट्रानिक अनुदान	1,06,957.00	
कम्प्युटर व्यय	16,670.00		कमिशन प्राप्त	1,96,406.00	
कार्यालय व्यय	1,08,101.00		चुन्गी क्षतिपूर्ति	1,18,76,003.00	
किटनाशक	8,98,332.00		जलकर चालु	3,59,173.00	
कोविड 19	2,66,190.00		जलकर बकाया	1,62,975.00	
जल व्यवस्था	10,51,997.00		दुकान किराया चालु	92,296.00	
जे आई एस मेपिन्ग	92,400.00		दुकान किराया बकाया	78,236.00	
डि पि आर	97,500.00		नल कनेक्शन	44,885.00	
त्योहार एव अन्य आयोजन	1,87,080.00		न. वि. उपकर	61,571.00	
दूरभाष व्यय	31,860.00		न. वि. उपकर बकाया	1,01,978.00	
धार्मिक कार्यो पर व्यय	31,100.00		नामान्तरण शुल्क	3,24,420.00	
निर्माण कार्य	84,55,670.00		पानी टेन्कर	3,900.00	
बजट	17,700.00		प्रमाण पत्र	21,500.00	
बिजलि बिल	49,34,288.00		प्रिमियम राशि	11,74,297.00	
बेन्क व्यय	14,831.35		बाजार बेठक	48,954.00	
मरम्मत व्यय	4,94,415.00		बाजार बेठक जि एस टि	10,094.00	
यात्रा व्यय	7,568.00		बेन्क ब्याज	5,78,780.00	
वाहन बिमा	67,322.00		मजदूर डायरी	250.00	
वाहन मरम्मत	8,22,480.00		मास्क पेनल्टी	45,200.00	
विज्ञप्ति वयय	2,41,221.00		मेले से आय	1,14,231.00	
विज्ञापन एव प्रचार व्यय	2,11,240.00		मृत्यु प्रमाण पत्र	3,643.00	
विध्युत सामग्रि	7,34,625.00		राशन कार्ड	1,300.00	
वेतन	68,84,020.00		लायसेन्स शुल्क	95,130.00	
वेतन अस्थाई कर्मचारि	52,44,861.00		विज्ञप्ति शुल्क	11,268.00	
सोन्दर्यीकरण पर व्यय	4,76,775.00		विलम्ब शुल्क	1,32,878.00	
स्टेशनरी वयय	1,15,356.96		शिक्षा उपकर	1,11,088.00	
स्ट्रिट लाईट मरम्मत व्यय	2,28,090.00		शिक्षा उपकर बकाया	1,59,492.00	
स्वचछता सर्वेक्षण व्यय	4,48,000.00		समेकित कर	52,568.00	
स्वल्पाहार व्यय	5,460.00		समेकित कर बकाया	75,825.00	
सफ़ाई कार्य एव सामग्री	7,76,189.00		सम्पतिकर चालु	2,44,847.00	
हुड़को लि.	15,08,524.00		सम्पतिकर बकाया	3,90,002.00	
			सम्बल फ़ार्म	10.00	
Excess of income over expenditure		1,48,08,414.69	सेफ़्टि टेन्क	40,440.00	
			स्वच्छता कर	60,920.00	
			स्वच्छता कर बकाया	67,915.00	
			स्वच्छता सम्मान राशि	25,00,000.00	
Total		**5,22,25,632.00**	**Total**		**5,22,25,632.00**

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नामली

DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

नगर परिशद नामली

Bank Accounts

Group Summary

1-Apr-21 to 31-Mar-22

Particulars	Closing Balance	
	Debit	Credit
इन्डियन बेन्क 5043775953	84,03,912.00	
बेन्क ओफ़ इन्डिया नामली	26,42,425.43	
मध्यप्रदेश ग्रामिण बॅान्क	3,75,643.77	
स्टेट बॅान्क आफ़ इन्डिया 277	1,03,07,470.60	
Grand Total	**2,17,29,451.80**	

J. P. DAFRIA & CO. RATLAM Chartered Accountants

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, नामली